

~ ~

**न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, शिव**  
(पीठारीन अधिकारी श्री यक्ष चौधरी, IAS)

राजस्व वाद संख्या 111/2020

अन्तर्गत धारा 53, 188 RT Act.

वादीगण	बनाम	प्रतिवादीगण
जेठाराम पुत्र चुतराराम जाति कुम्हार, निवासी खीपसर बायतु हाल निवासी आरंग तहसील शिव, जिला बाड़मेर		1. विशनाराम पुत्र चुतराराम 2. किशनाराम पुत्र चुतराराम जाति कुम्हार, निवासी खीपसर, बायतु हाल निवासी आरंग तहसील शिव, जिला बाड़मेर 3. राज. राज्य जरिये तहसीलदार शिव

उपरिस्थित :- अधिवक्ता वादी - श्री बृजमोहन कुमावत।  
अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1 - श्री जेठाराम कुमावत।

--: निर्णय :-

दिनांक : 11.03.2026

उभयपक्ष अधिवक्ता को विभाजन प्रस्ताव पर सुना एवं पत्रावली का गंभीरतापूर्वक अवलोकन किया गया। विभाजन प्रस्ताव न्यायालय द्वारा जारी प्राथमिक डिक्री के अनुसार तैयार किया गया है तथा उभयपक्ष अधिवक्ता द्वारा तहसीलदार शिव से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव अनुसार वादग्रस्त भूमि विभाजित किये जाने में अपनी सहमति व्यक्त की गई है। अतः तहसीलदार शिव से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव न्यायालय द्वारा जारी प्राथमिक डिक्री अनुसार होने एवं उभयपक्ष अधिवक्ता को स्वीकार होने से विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।


लिहाजा माफिक विभाजन प्रस्ताव अनुसार वाद स्वीकार किया जाकर तहसील शिव, पटवार मण्डल आरंग के ग्राम आरंग के खेत खसरा नम्बर 418/4 रकबा 8.2556 हैक्टेयर भूमि निम्नानुसार पक्षकारानु के नाम के आगे अंकित मुताबिक पृथक खातेदारी में घोषित की जाती है -

क्र. सं.	नाम खातेदार	राजस्व ग्राम	खसरा नम्बर	रकबा (हैक्ट. में)	किस्म	लगान	बरंग
1	किशनाराम पुत्र चुतराराम जाति कुम्हार (प्रजापति) सा. खीपसर तह. बायतु खातेदार	आरंग	418/4	2.7519	बा. चा.	-	लाल
2	जेठाराम पुत्र चुतराराम जाति कुम्हार (प्रजापति) सा. खीपसर तह. बायतु खातेदार	आरंग	418/4	2.7519	बा. चा.	-	आसमानी
3	विशनाराम पुत्र चुतराराम जाति कुम्हार (प्रजापति) सा. खीपसर तह. बायतु खातेदार	आरंग	418/4	2.7518	बा. चा.	-	हरा

तहसीलदार शिव को इसी अनुसार राजस्व रेकॉर्ड में अमल दरामद करने एवं नक्शा ट्रेस में प्रस्ताव अनुसार परिवर्तन सुनिश्चित करने के आदेश दिये जाते हैं। विभाजन प्रस्ताव अनुसार पक्षकारों को बराबर हिस्सा मिल रहा है। बैंक हित उक्त निर्णय से अप्रभावित रहेंगे। विभाजन प्रस्ताव के संलग्न प्राप्त नक्शा निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा। तदनुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

  
 सहायक कलक्टर  
 शिव (बाड़मेर)

निर्णय आज दिनांक 11.03.2026 सरे इजलास सुनाया गया।

  
 सहायक कलक्टर  
 शिव (बाड़मेर)